

**छत्तीसगढ़ शासन**  
**वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग**  
**मंत्रालय,**

**महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर**

क्रमांक एफ 5-27/2023/10-2  
प्रति,

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 19/12/2023

- |   |   |
|---|---|
| <p>1 प्रधान मुख्य वन संरक्षक<br/>एवं वन बल प्रमुख<br/>छत्तीसगढ़ अरण्य भवन,<br/>सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक,<br/>नवा रायपुर, अटल नगर।</p> | <p>2 प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)<br/>छत्तीसगढ़ अरण्य भवन,<br/>सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक,<br/>नवा रायपुर, अटल नगर।</p> |
|---|---|

विषय:- आवेदनकर्ता, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स) रायपुर द्वारा गरियाबंद एवं धमतरी जिले के उदंती-सीतानदी टायगर रिजर्व क्षेत्र अंतर्गत भारत नेट प्रोजेक्ट Phase-II के तहत भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने के गैर वानिकी कार्य हेतु कुल 8.965 हे. वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत व्यपवर्तन प्रस्ताव।

- संदर्भ:- 1. भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 16.10.2000 तथा पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 08.04.2009।  
2. भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्र./F No.-5-3/2007-FC दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 15.06.2004।  
3. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) का पत्र क्र./भू-प्रबंध/विविध-ए/115-869/1775, दिनांक 27.07.2023 तथा पत्र क्र./भू-प्रबंध/विविध-ए/115-869/2315, दिनांक 04.10.2023।

---000---

कृपया संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें। जिसमें प्रश्नाधीन प्रकरण में प्रथम चरण स्वीकृति प्रदाय करने की अनुशंसा की गई है।

आपके प्रस्ताव पर भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 16.10.2000, पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 08.04.2009, पत्र क्र./F No.-5-3/2007-FC दिनांक 05.02.2009 एवं पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 15.06.2004 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत विचारोपरांत राज्य शासन एतद् द्वारा निम्न तालिका में दर्शित विवरण अनुसार :-

**तालिका**

क्र.	जिला	प्रभावित वनमण्डल का नाम	प्रभावित परिक्षेत्र का नाम	प्रभावित वनखंड का नाम	प्रभावित वनभूमि का प्रकार	वन कक्ष क्र.	लम्बाई (मी.)	चौड़ाई (मी.)	रकबा (हे.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	गरियाबंद	उदंती-सीतानदी टायगर रिजर्व	इन्दागांव	इन्दागांव	आरक्षित वन	1219	1060.077	0.5	0.054
2			इन्दागांव	इन्दागांव	आरक्षित वन	1228	6860.636	0.5	0.343
3			इन्दागांव	इन्दागांव	आरक्षित वन	1230	326.370	0.5	0.016
4			इन्दागांव	बुडगेल टप्पा	आरक्षित वन	1232	3375.836	0.5	0.169
5			इन्दागांव	बुडगेल टप्पा	आरक्षित वन	1233	1720.471	0.5	0.086
6			इन्दागांव	धुर्वागुड़ी	आरक्षित वन	1234	2096.010	0.5	0.105
7			इन्दागांव	धुर्वागुड़ी	आरक्षित वन	1235	1705.182	0.5	0.085
8			इन्दागांव	धुर्वागुड़ी	आरक्षित वन	1236	2960.795	0.5	0.148
9			रिसगाँव	जोरातराई	आरक्षित वन	150	2051.857	0.5	0.103
10			रिसगाँव	जोरातराई	आरक्षित वन	151	186.156	0.5	0.009
11			रिसगाँव	रिसगाँव	आरक्षित वन	166	643.753	0.5	0.032
12			सीतानदी	सिंगनपुर	आरक्षित वन	332	1579.357	0.5	0.079
13			सीतानदी	गिधावा	आरक्षित वन	351	684.298	0.5	0.034

*Original*

क्र.	जिला	प्रभावित वनमण्डल का नाम	प्रभावित परिक्षेत्र का नाम	प्रभावित वनखंड का नाम	प्रभावित वनभूमि का प्रकार	वन कक्ष क्र.	लम्बाई (मी.)	चौड़ाई (मी.)	रकबा (हे.)
14	गरियाबंद	उदंती-सीतानदी टायगर रिजर्व	सीतानदी	बिर्नासिल्ली	आरक्षित वन	352	1236.697	0.5	0.062
15			सीतानदी	बिर्नासिल्ली	आरक्षित वन	353	3780.876	0.5	0.189
16			सीतानदी	बम्हनीनभरी	आरक्षित वन	355	664.378	0.5	0.033
17			सीतानदी	बम्हनीनभरी	आरक्षित वन	357	911.478	0.5	0.046
18			दक्षिण उदंती	बंजारीबहरा	आरक्षित वन	25	1107.334	0.5	0.055
19			दक्षिण उदंती	उदंती	आरक्षित वन	29	1402.921	0.5	0.07
20			दक्षिण उदंती	कोयबा	आरक्षित वन	30	1263.877	0.5	0.063
21			दक्षिण उदंती	बम्हनीझोला	आरक्षित वन	32	235.984	0.5	0.012
22			दक्षिण उदंती	बम्हनीझोला	आरक्षित वन	33	4700.724	0.5	0.236
23			दक्षिण उदंती	नागेश	आरक्षित वन	42	920.323	0.5	0.046
24			दक्षिण उदंती	गोदेना	आरक्षित वन	51	1624.798	0.5	0.082
25			दक्षिण उदंती	पूंजीपथरा	आरक्षित वन	54	1553.971	0.5	0.077
26			दक्षिण उदंती	साहेबिन	आरक्षित वन	55	2481.268	0.5	0.124
27			दक्षिण उदंती	साहेबिन	आरक्षित वन	56	6855.399	0.5	0.342
28			दक्षिण उदंती	सोनडोंगरी	आरक्षित वन	60	1624.798	0.5	0.082
29			अर्सीकन्हार	अर्सीकन्हार	आरक्षित वन	191	1527.604	0.5	0.076
30			अर्सीकन्हार	अर्सीकन्हार	आरक्षित वन	192	2573.405	0.5	0.129
31			अर्सीकन्हार	अर्सीकन्हार	आरक्षित वन	195	4838.364	0.5	0.242
32			अर्सीकन्हार	लिलंज	आरक्षित वन	199	722.881	0.5	0.036
33			अर्सीकन्हार	लिलंज	आरक्षित वन	200	2217.432	0.5	0.111
34			अर्सीकन्हार	लिलंज	आरक्षित वन	202	815.200	0.5	0.041
35			अर्सीकन्हार	लिलंज	आरक्षित वन	203	526.666	0.5	0.026
36			अर्सीकन्हार	लिलंज	आरक्षित वन	204	2438.858	0.5	0.122
37			अर्सीकन्हार	लिलंज	आरक्षित वन	205	2068.782	0.5	0.104
38			अर्सीकन्हार	मौहाबहरा	आरक्षित वन	208	680.086	0.5	0.034
39			अर्सीकन्हार	मौहाबहरा	आरक्षित वन	209	263.576	0.5	0.013
40			अर्सीकन्हार	भीरागांव	आरक्षित वन	210	1059.834	0.5	0.053
41			अर्सीकन्हार	बासीन	आरक्षित वन	391	857.409	0.5	0.043
42			अर्सीकन्हार	बासीन	आरक्षित वन	392	956.594	0.5	0.048
43			अर्सीकन्हार	अर्जुनी	आरक्षित वन	393	980.541	0.5	0.049
44			अर्सीकन्हार	अर्जुनी	आरक्षित वन	395	559.165	0.5	0.028
45			अर्सीकन्हार	अर्जुनी	आरक्षित वन	396	1574.333	0.5	0.079
46			अर्सीकन्हार	अर्जुनी	आरक्षित वन	397	228.684	0.5	0.012
47			अर्सीकन्हार	अर्जुनी	आरक्षित वन	398	744.383	0.5	0.037
48			अर्सीकन्हार	अर्जुनी	आरक्षित वन	395A	2569.409	0.5	0.128
<b>आरक्षित वनभूमि का योग</b>									<b>4.193</b>

क्र.	जिला	प्रभावित वनमण्डल का नाम	प्रभावित परिक्षेत्र का नाम	प्रभावित वनखंड का नाम	प्रभावित वनभूमि का प्रकार	वन कक्ष क्र.	लम्बाई (मी.)	चौड़ाई (मी.)	रकबा (हे.)
49	गरियाबंद	उदंती-सीतानदी टायगर रिजर्व	इन्दागांव	इन्दागांव	संरक्षित वन	P 1229	1161.462	0.5	0.057
50			कुल्हाड़ीघाट	कुल्हाड़ीघाट	संरक्षित वन	P 921	2030.610	0.5	0.101
51			कुल्हाड़ीघाट	कुल्हाड़ीघाट	संरक्षित वन	P 929	3606.912	0.5	0.181
52			कुल्हाड़ीघाट	कुल्हाड़ीघाट	संरक्षित वन	P 952	996.843	0.5	0.05
53			उत्तर उदंती	कुरुभाटा	संरक्षित वन	P 2	5692.712	0.5	0.285
54			उत्तर उदंती	कुरुभाटा	संरक्षित वन	P 3	1581.614	0.5	0.079
55			उत्तर उदंती	जांगड़ा	संरक्षित वन	P 5	3084.772	0.5	0.154

*Rybal*

क्र.	जिला	प्रभावित वनमण्डल का नाम	प्रभावित परिक्षेत्र का नाम	प्रभावित वनखंड का नाम	प्रभावित वनभूमि का प्रकार	वन कक्ष क्र.	लम्बाई (मी.)	चौड़ाई (मी.)	रकबा (हे.)
56	गरियाबंद	उदंती-सीतानदी टायगर रिजर्व	उत्तर उदंती	चुल्हाडोंगरी	संरक्षित वन	P 6	8927.768	0.5	0.446
57			उत्तर उदंती	मोतीपानी	संरक्षित वन	P 57	2102.330	0.5	0.105
58			उत्तर उदंती	जुगाड़	संरक्षित वन	P 84	2242.799	0.5	0.112
59			उत्तर उदंती	चुल्हाडोंगरी	संरक्षित वन	P 89	3535.091	0.5	0.177
60			दक्षिण उदंती	नागेश	संरक्षित वन	P 38	3653.221	0.5	0.182
61			दक्षिण उदंती	नागेश	संरक्षित वन	P 39	4030.876	0.5	0.203
62			दक्षिण उदंती	करलाझार	संरक्षित वन	P 43	5181.319	0.5	0.258
63			दक्षिण उदंती	करलाझार	संरक्षित वन	P 44	773.913	0.5	0.039
64			तौरंगा	झरियाबाहरा	संरक्षित वन	P 1068	826.380	0.5	0.041
65			तौरंगा	झरियाबाहरा	संरक्षित वन	P 1077	206.733	0.5	0.011
66			तौरंगा	फुलझर	संरक्षित वन	P 1079	4830.349	0.5	0.242
67			तौरंगा	तौरंगा	संरक्षित वन	P 1101	2873.982	0.5	0.144
68			तौरंगा	अड़गड़ी	संरक्षित वन	P 1106	2042.092	0.5	0.102
69			तौरंगा	अड़गड़ी	संरक्षित वन	P 1114	4280.150	0.5	0.214
70			तौरंगा	अड़गड़ी	संरक्षित वन	P 1118	1165.901	0.5	0.058
71			तौरंगा	शोभा	संरक्षित वन	P 1119	1865.241	0.5	0.094
72			तौरंगा	गोना	संरक्षित वन	P 1122	1510.322	0.5	0.075
73			तौरंगा	शोभा	संरक्षित वन	P 1123	1251.925	0.5	0.062
74			तौरंगा	भूतबेड़ा	संरक्षित वन	P 1133	2219.619	0.5	0.111
75			तौरंगा	गोना	संरक्षित वन	P 1134	1516.333	0.5	0.076
76			तौरंगा	गोना	संरक्षित वन	P 1137	1345.135	0.5	0.066
77			तौरंगा	गोना	संरक्षित वन	P 1138	1188.508	0.5	0.06
78			तौरंगा	कोकड़ी	संरक्षित वन	P 1139	2711.216	0.5	0.135
79			तौरंगा	कोकड़ी	संरक्षित वन	P 1141	1053.866	0.5	0.053
80			तौरंगा	कोकड़ी	संरक्षित वन	P 1142	1672.059	0.5	0.084
81			तौरंगा	चीपरी	संरक्षित वन	P 1144	956.128	0.5	0.048
82			तौरंगा	कोकड़ी	संरक्षित वन	P 1171	1037.063	0.5	0.051
83			तौरंगा	कोकड़ी	संरक्षित वन	P 1173	2114.988	0.5	0.106
84			तौरंगा	कोकड़ी	संरक्षित वन	P 1174	1612.734	0.5	0.081
85			तौरंगा	भूतबेड़ा	संरक्षित वन	P 1175	3330.062	0.5	0.167
86			तौरंगा	भूतबेड़ा	संरक्षित वन	P 1177	3371.974	0.5	0.168
87			तौरंगा	भूतबेड़ा	संरक्षित वन	P 1178	1896.539	0.5	0.094
संरक्षित वनभूमि का योग									4.772
कुल योग							179300.371 (179.300K.M.)	0.5	8.965

उक्त 179.300 कि.मी. लंबे तथा 0.50 मीटर चौड़े वन क्षेत्र कुल 8.965 हे. वन भूमि (आरक्षित वन भूमि 4.193 हे. एवं संरक्षित वन भूमि 4.772 हे.) में भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु मेसर्स छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स) रायपुर, छत्तीसगढ़ को वन भूमि उपयोग पर देने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन सैद्धांतिक स्वीकृति दी जाती है :-

1. वन भूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा ।
- 2.(अ) वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता के खर्च पर पूर्व भानुप्रतापपुर वनमंडल अंतर्गत प्रकरण में प्रस्तावित रकबा 8.965 हे. वन भूमि के एवज में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवेदक संस्थान द्वारा पूर्व भानुप्रतापपुर वनमंडल के अंतागढ़ परिक्षेत्र के ग्राम चाउरगांव में 2.967 हे. तथा ग्राम पोड़गांव में 10.427 हे. कुल 13.394 हे. राजस्व भूमि में से समतुल्य राजस्व भूमि में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण किया जायेगा ।

रक्षक


- (ब) उपरोक्त वन भूमि को 6 माह के अंदर नोडल अधिकारी द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 के तहत संरक्षित वन या धारा-4 के तहत आरक्षित वन के रूप में अधिसूचित किया जाएगा।
3. उपयोगकर्ता वर्तमान मजदूरी दर से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की लागत राशि वन विभाग के पास पेशगी जमा करेंगे ताकि वृक्षारोपण किया जा सके।
- 4.(अ) समादेश याचिका (सी) क्रमांक/202/1995 के अंतर्गत आई.ए.क्रमांक-566 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 व 09.05.2008 के अनुसार तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 5-1/1998-एफ.सी. (पार्ट-II) दिनांक 18.09.2003 के साथ इससे सम्बंधित पत्र क्रमांक 5-2/2006-एफ.सी. दिनांक 03.10.2006, पत्र क्रमांक 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009, तथा पत्र क्र. 5-3/2011-FC(Vol-I) दिनांक 06.01.2022 तथा पत्र क्रमांक 5-3/2011-FC(Vol-I) दिनांक 22.03.2022 के द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार वन विभाग उपयोगकर्ता अभिकरण से शुद्ध वर्तमान मूल्य (Net Present Value) वसूली जायेगी।
- (ब) विशेषज्ञ समिति के प्रतिवेदन प्राप्त होने एवं उसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अंतिम रूप देने के पश्चात् यदि शुद्ध वर्तमान मूल्य के अतिरिक्त राशि देय होती है तो यह राशि वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता अभिकरण से वसूली जाएगी। उपयोगकर्ता अभिकरण इस आशय का वचन पत्र प्रस्तुत करेगा।
5. परियोजना के अंतर्गत उपयोगकर्ता अभिकरण से प्राप्त समस्त निधि को Compensatory Afforestation Fund (CAF) Chhattisgarh SB01025203 के कार्पोरेशन बैंक लोदी कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली - 110003 में स्थित खाता संख्या CAF 25203 में हस्तांतरित की जायेगी।
6. प्रस्ताव में उल्लेख के अनुरूप ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन का मार्ग संरेखित किया जायेगा तथा मार्ग परिवर्तित नहीं किया जायेगा।
7. ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने हेतु वृक्ष नहीं काटे जायेंगे।
8. उपरोक्त लाईन बिछाने हेतु खन्ति की अधिकतम चौड़ाई 0.50 मीटर तथा गहराई 1.65 मीटर होगी। वन्यप्राणी तथा बायोडायवर्सिटी को नुकसान न पहुंचे, इसे ध्यान में रखकर स्थानीय वनाधिकारी की निगरानी में खन्ति को खोदा तथा उपयोग उपरांत आवेदक द्वारा स्वयं के खर्चे पर खन्ति को भरकर समतल किया जावेगा। यदि उपरोक्त लाईन बिछाने हेतु Horizontal Directional Drilling method (HDD) पद्धति का उपयोग किया जाता है तो, उपयोग किये जाने वाली मशीन के परिवहन हेतु मौजूदा सड़क का उपयोग किया जायेगा तथा अन्य वन क्षेत्र का उपयोग प्रतिबंधित होगा। इस पद्धति के उपयोग में यह ध्यान रखा जाये कि वन क्षेत्र के फ्लोरा एवं फौना तथा Regeneration को क्षति न हो।
9. स्थल पर कार्य करने की तिथियों को आवेदनकर्ता द्वारा प्रभारी उप निदेशक, उदंती-सीतानदी टायगर रिजर्व/वनमंडलाधिकारी को पूर्व से सूचित किया जाएगा, ताकि मौके पर वन विभाग के अधिकारियों के समक्ष कार्य हो सके तथा खोदे जा रही वनभूमि की क्षति को न्यूनतम रखा जा सके।
10. उपरोक्त लाईन, सड़क के किनारे तथा मौजूदा सड़क की चौड़ाई के अंतर्गत ही बिछाई जावेगी।
11. आवेदक संस्थान, उपयोग पश्चात, उपयोग किये गये भूमि का उपयोग/रखरखाव के खर्चे को वहन करने हेतु, वचनबद्ध रहेगा।
12. आवेदक संस्थान, स्थानीय वन/पर्यावरण को होने वाली क्षति की पूर्ति के लिए वचनबद्ध रहेगा, अतः यथासंभव वन/पर्यावरण को संरक्षित रखेगा।

13. आवेदक संस्थान रखरखाव का कार्य करने के पूर्व वन विभाग से अनुमति प्राप्त करेगा।
14. वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जायेगा।
15. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) तथा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) यह सुनिश्चित करेंगे कि, वनभूमि के हस्तांतरण से पूर्व, वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1927 के तहत उपयुक्त अनुमति, पर्यावरणीय अनुमति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारम्परिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 सहित प्रस्तावित कार्य हेतु लागू होने वाले समस्त नियमों, विनियमों एवं दिशा निर्देशों एवं शर्तों का पालन किया जाएगा।
16. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के दिशा निर्देश क्रमांक F.No. 6-175/2017 WL(pt), दिनांक 07.02.2023 में भारत सरकार द्वारा निर्धारित/अधिरोपित समस्त शर्तें लागू होंगी तथा आवेदक संस्थान उक्त शर्तों के पालन हेतु वचनबद्ध रहेगा।
17. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) नोडल अधिकारी (वन संरक्षण अधिनियम 1980) द्वारा प्रतिमाह की 5 तारीख के पूर्व राज्य शासन से जारी समस्त सामान्य अनुमोदन के प्रकरणों की रिपोर्ट, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर को प्रेषित करेंगे।
18. बिना भारत सरकार की अनुमति के वन भूमि का उपयोग बदलना, वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन माना जायेगा तथा भूमि उपयोग को यदि बदलने की आवश्यकता हो, तो आवेदक संस्थान इस हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) नोडल अधिकारी तथा राज्य शासन के माध्यम से भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर को निवेदन करेंगे।
19. क्षेत्र के वनस्पति एवं वन्यजीव (Flora & Fauna) तथा पर्यावरण के संरक्षण/विकास हेतु समय-समय पर राज्य शासन या भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर द्वारा अधिरोपित अन्य किन्हीं शर्तों के पालन हेतु आवेदक संस्थान बाध्य होगा।
20. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) यह सुनिश्चित करेंगे कि, प्रस्तावित कार्य के क्रियान्वयन में वन्यप्राणी संरक्षण से संबंधित कोई भी नियम/अधिनियम का उल्लंघन न हो।
21. सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के पश्चात ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाये जाने के कार्य करने की अनुमति नहीं होगी।
22. संरक्षित क्षेत्र के अंदर जलाऊ लकड़ी का संग्रहण नहीं किया जावेगा तथा कोई ऐसी गतिविधि संचालित नहीं की जायेगी जिससे वन्यप्राणियों के लिए प्रतिकूल परिस्थितियां निर्मित हो।
23. मशीनों का उपयोग सही प्रकार से किया जावेगा जिससे वन्यप्राणियों पर विपरीत प्रभाव न पड़े तथा जैव विविधता को नुकसान न हो।
24. आवेदक संस्था द्वारा वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980 तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 के नियमों का पालन किया जायेगा। ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाये जाने के कार्य में इस्तेमाल हो रहे मलबा, उपकरण आदि संरक्षित क्षेत्र के अंदर नहीं छोड़े जावेंगे।
25. कार्य के समय इस्तेमाल किये जाने वाले मशीनों एवं उपकरणों से किसी प्रकार का तेज ध्वनि उत्पन्न न हो जिससे की वन्यप्राणियों एवं उनके रहवास में बाधा हो यह सुनिश्चित करें।


26. आवेदक संस्थान किसी भी स्थिति में भारत सरकार की पूर्वानुमति के बिना, व्यपवर्तित वन भूमि को किसी भी अन्य संस्थान/विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं करेगा।
27. Adequate mitigation measures should be put in place for protection and conservation of wildlife.
28. Care should be taken that no natural drainage gets obstructed by implementation of the project. Adequate water passageways need to be provided wherever applicable.
29. No labor camp should be constructed within the Udanti-Sitanadi Tiger Reserve or forest area.
30. Special care should be taken to ensure that the animal movement is not restricted due to the construction work.

उपरोक्त शर्तों में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) से संबंधित शर्तों का पालन प्रतिवेदन प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) से प्राप्त कर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) द्वारा उपरोक्त समस्त शर्तों की पूर्ति का पालन प्रतिवेदन राज्य शासन को प्रेषित करेंगे जिसके पश्चात् इस प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा-2 के अंतर्गत औपचारिक अनुमोदन इस विभाग द्वारा प्रदान किया जायेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम  
से तथा आदेशानुसार,

  
(के.पी.राजपूत) 14/12-23

अवर सचिव

 छत्तीसगढ़ शासन,  
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग  
नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 14/12/2023


पृष्ठांक/एफ 5-27/2023/10-2

प्रतिलिपि :-

1. वनमहानिदेशक, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग अलीगंज रोड़, नई दिल्ली - 110003 की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
  2. वनमहानिरीक्षक (वन्यप्राणीखण्ड), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग अलीगंज रोड़, नई दिल्ली - 110003 की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
  3. सहायक वनमहानिरीक्षक, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड़, नई दिल्ली- 110003 की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
  4. वनमहानिरीक्षक, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, अरण्य भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
  5. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध), कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर छत्तीसगढ़।
  6. मुख्य वन संरक्षक, रायपुर वृत्त, रायपुर छत्तीसगढ़।
  7. वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एवं क्षेत्रीय संचालक उदंती-सीतानदी टायगर रिजर्व, रायपुर, छत्तीसगढ़।
  8. वनमंडलाधिकारी गरियाबंद, वनमंडल, छत्तीसगढ़।
  9. उप निदेशक, उदंती-सीतानदी टायगर रिजर्व, गरियाबंद, छत्तीसगढ़।
  10. आवेदनकर्ता, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स), स्टेट डाटा सेंटर बिल्डिंग, सिविल लाईन, रायपुर, छत्तीसगढ़।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



अवर सचिव

 छत्तीसगढ़ शासन,  
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग